

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज |

पत्रांक: ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1348

दिनांक: 09-12-2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1337 दिनांक 12-11-2025 एवं कार्यालय आदेश संख्या ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1338 दिनांक 17-11-2025 द्वारा प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के 108 कार्मिकों को 'ऑडिट सप्ताह-2025' के अवसर पर दिनांक 21-11-2025 को इस कार्यालय परिसर में आयोजित की गयी कार्यशाला हेतु नामित किया गया था तथा यह निर्देशित किया गया था कि सभी नामित कार्मिक उक्त कार्यशाला में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

परन्तु श्री विकास सिंह तोमर, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या 1282 उक्त कार्यशाला में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे। इस सम्बन्ध में श्री विकास सिंह तोमर को कार्यालय आदेश संख्या AE-II/03/WM-1/ Gr.-I/Cap.Build./533/2025/Vol.-I/1340 दिनांक 26-11-2025 द्वारा उक्त कार्यशाला में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस सम्बन्ध में श्री विकास सिंह तोमर द्वारा अपने पत्र दिनांक 27-11-2025 के माध्यम से प्रस्तुत स्पष्टीकरण में दिए गए कारणों को सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात संतोष जनक नहीं पाया गया है।

अतः श्री विकास सिंह तोमर, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या 1282 की दिनांक 21-11-2025 को कार्यशाला से अनधिकृत अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित किया जाता है। उक्त अवधि, सेवा में जोड़ी नहीं जाएगी और न ही सेवा में व्यवधान समझा जाएगा।

वरिष्ठ उप महालेखाकार/डी.ए.सी.जी.

पत्रांक: ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/486-489

दिनांक: -12-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. श्री विकास सिंह तोमर, प्रभागीय लेखाकार, व्य. सं. 1282 को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।
2. अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग खंड, बाँदा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अकार्य दिवस की प्रविष्टि श्री विकास सिंह तोमर की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें। श्री विकास सिंह तोमर को दिनांक 21-11-2025 का वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि. वि.-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आई.टी.सी.जी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि.-1

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पत्रांक: ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/ 1349

दिनांक: 09-12-2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1337 दिनांक 12-11-2025 एवं कार्यालय आदेश संख्या ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1338 दिनांक 17-11-2025 द्वारा प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के 108 कार्मिकों को 'ऑडिट सप्ताह-2025' के अवसर पर दिनांक 21-11-2025 को इस कार्यालय परिसर में आयोजित की गयी कार्यशाला हेतु नामित किया गया था तथा यह निर्देशित किया गया था कि सभी नामित कार्मिक उक्त कार्यशाला में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

परन्तु श्री भुवनेश कुमार यादव, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या 1603 उक्त कार्यशाला में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे।

इस सम्बन्ध में श्री भुवनेश कुमार यादव द्वारा अपने पत्र दिनांक 22-11-2025 में दिए गए कारणों को सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात संतोष जनक नहीं पाया गया है।

अतः श्री भुवनेश कुमार यादव, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या 1603 की दिनांक 21-11-2025 को कार्यशाला से अनधिकृत अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित किया जाता है। उक्त अवधि, सेवा में जोड़ी नहीं जाएगी और न ही सेवा में व्यवधान समझा जाएगा।


वरिष्ठ उप महालेखाकार/डी.ए.सी.सी.

पत्रांक: ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/ 490-493 दिनांक: -12-2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. श्री भुवनेश कुमार यादव, प्रभागीय लेखाकार, व्य. सं. 1603 को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।
2. अधिशाषी अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिक खंड, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अकार्य दिवस की प्रविष्टि श्री भुवनेश कुमार यादव की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें। श्री भुवनेश कुमार यादव को दिनांक 21-11-2025 का वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि. वि.-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आई.टी.सी.जी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि.-1

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पत्रांक: ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/ 1350

दिनांक: 09-12-2025

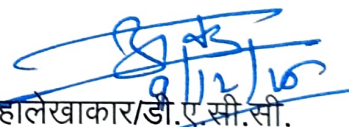
कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1337 दिनांक 12-11-2025 एवं कार्यालय आदेश संख्या ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1338 दिनांक 17-11-2025 द्वारा प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के 108 कार्मिकों को 'ऑडिट सप्ताह-2025' के अवसर पर दिनांक 21-11-2025 को इस कार्यालय परिसर में आयोजित की गयी कार्यशाला हेतु नामित किया गया था तथा यह निर्देशित किया गया था कि सभी नामित कार्मिक उक्त कार्यशाला में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

परन्तु श्री फ़िरोज़ खान बाबर, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या 1608 उक्त कार्यशाला में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे। इस सम्बन्ध में श्री फ़िरोज़ खान बाबर को कार्यालय आदेश संख्या AE-II/03/WM-1/ Gr.-I/Cap.Build./533/2025/Vol.-I/1340 दिनांक 26-11-2025 द्वारा उक्त कार्यशाला में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

परन्तु श्री फ़िरोज़ खान बाबर द्वारा उक्त कार्यालय आदेश के अनुपालन में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः श्री फ़िरोज़ खान बाबर की दिनांक 21-11-2025 को कार्यशाला से अनधिकृत अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित किया जाता है। उक्त अवधि, सेवा में जोड़ी नहीं जाएगी और न ही सेवा में व्यवधान समझा जाएगा। श्री फ़िरोज़ खान बाबर को कार्यालय आदेशों के अनुपालन न करने के सम्बन्ध में चेतावनी दी जाती है कि इसकी पुनरावृत्ति होने पर श्री फ़िरोज़ खान बाबर के विरुद्ध CCS (CCA) Rules, 1965 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

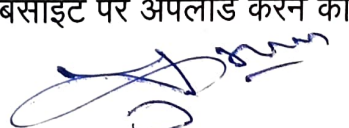

वरिष्ठ उप महालेखाकार/डी.ए.सी.सी.

पत्रांक: ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/ 494-497

दिनांक: -12-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. श्री फ़िरोज़ खान बाबर, प्रभागीय लेखाकार, व्य. सं. 1608 को कार्यालय वेबसाइट के माध्यम से।
2. अधिशाषी अभियंता, पी.एम.जी.एस.वाई., लखीमपुर खीरी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अकार्य दिवस की प्रविष्टि श्री फ़िरोज़ खान बाबर की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें। श्री फ़िरोज़ खान बाबर को दिनांक 21-11-2025 का वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि. वि.-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आई.टी.सी.जी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि.-1

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पत्रांक: ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1351

दिनांक: 09-12-2025

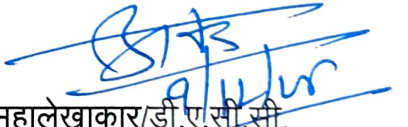
कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1337 दिनांक 12-11-2025 एवं कार्यालय आदेश संख्या ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1338 दिनांक 17-11-2025 द्वारा प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के 108 कार्मिकों को 'ऑडिट सप्ताह-2025' के अवसर पर दिनांक 21-11-2025 को इस कार्यालय परिसर में आयोजित की गयी कार्यशाला हेतु नामित किया गया था तथा यह निर्देशित किया गया था कि सभी नामित कार्मिक उक्त कार्यशाला में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

परन्तु सुश्री सुनीता कुमारी, प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रेड-2, व्यक्तिगत संख्या 1146 उक्त कार्यशाला में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहीं। इस सम्बन्ध में सुश्री सुनीता कुमारी को कार्यालय आदेश संख्या AE-II/03/WM-1/ Gr.-I/Cap.Build./533/2025/Vol.-I/1340 दिनांक 26-11-2025 द्वारा उक्त कार्यशाला में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

परन्तु सुश्री सुनीता कुमारी द्वारा उक्त कार्यालय आदेश के अनुपालन में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः सुश्री सुनीता कुमारी, प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रेड-2, व्यक्तिगत संख्या 1146 की दिनांक 21-11-2025 को कार्यशाला से अनधिकृत अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित किया जाता है। उक्त अवधि, सेवा में जोड़ी नहीं जाएगी और न ही सेवा में व्यवधान समझा जाएगा। सुश्री सुनीता कुमारी को कार्यालय आदेशों के अनुपालन न करने के सम्बन्ध में चेतावनी दी जाती है कि इसकी पुनरावृत्ति होने पर सुश्री सुनीता कुमारी के विरुद्ध CCS (CCA) Rules, 1965 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

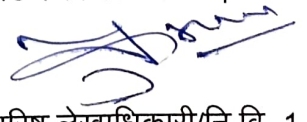

वरिष्ठ उप महालेखाकार/डी.ए.सी.सी.

पत्रांक: ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/498-501

दिनांक: -12-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सुश्री सुनीता कुमारी, प्रभागीय लेखाधिकारी ग्रेड-2, व्यक्तिगत संख्या 1146 को कार्यालय वेबसाइट के माध्यम से।
2. अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग खंड, गौतम बुद्ध नगर, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अकार्य दिवस की प्रविष्टि सुश्री सुनीता कुमारी की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें। सुश्री सुनीता कुमारी को दिनांक 21-11-2025 का वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि. वि.-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आई.टी.सी.जी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि.-1

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पत्रांक: ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/ 1352

दिनांक: 09-12-2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1337 दिनांक 12-11-2025 एवं कार्यालय आदेश संख्या ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1338 दिनांक 17-11-2025 द्वारा प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के 108 कार्मिकों को 'ऑडिट सप्ताह-2025' के अवसर पर दिनांक 21-11-2025 को इस कार्यालय परिसर में आयोजित की गयी कार्यशाला हेतु नामित किया गया था तथा यह निर्देशित किया गया था कि सभी नामित कार्मिक उक्त कार्यशाला में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

परन्तु श्री अर्पित शुक्ला, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या 1554 उक्त कार्यशाला में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे। इस सम्बन्ध में श्री अर्पित शुक्ला को कार्यालय आदेश संख्या AE-II/03/WM-1/Gr.-I/Cap.Build./533/2025/Vol.-I/1340 दिनांक 26-11-2025 द्वारा उक्त कार्यशाला में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस क्रम में श्री अर्पित शुक्ला द्वारा अपने पत्र दिनांक 27-11-2025 के माध्यम से प्रस्तुत स्पष्टीकरण में दिए गए कारणों को सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात संतोष जनक नहीं पाया गया है।

अतः श्री अर्पित शुक्ला, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या 1554 की दिनांक 21-11-2025 को कार्यशाला से अनाधिकृत अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित किया जाता है। उक्त अवधि, सेवा में जोड़ी नहीं जाएगी और न ही सेवा में व्यवधान समझा जाएगा।

वरिष्ठ उप महालेखाकार/डी.ए.सी.सी.

पत्रांक: ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/ 502-505

दिनांक: -12-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. श्री अर्पित शुक्ला, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत सं. 1554 को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।
2. अधिशाषी अभियंता, नलकूप खंड-2, सीतापुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अकार्य दिवस की प्रविष्टि श्री शुक्ला की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें। श्री शुक्ला को दिनांक 21-11-2025 का वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि. वि.-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आई.टी.सी.जी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि.-1

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पत्रांक: ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/ 1353

दिनांक: 09-12-2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1337 दिनांक 12-11-2025 एवं कार्यालय आदेश संख्या ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1338 दिनांक 17-11-2025 द्वारा प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के 108 कार्मिकों को 'ऑडिट सप्ताह-2025' के अवसर पर दिनांक 21-11-2025 को इस कार्यालय परिसर में आयोजित की गयी कार्यशाला हेतु नामित किया गया था तथा यह निर्देशित किया गया था कि सभी नामित कार्मिक उक्त कार्यशाला में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

परन्तु श्री पवन कुमार जैसवाल, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या 1625 उक्त कार्यशाला में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे। इस सम्बन्ध में श्री पवन कुमार जैसवाल को कार्यालय आदेश संख्या AE-II/03/WM-1/ Gr.-I/Cap.Build./533/2025/Vol.-I/1340 दिनांक 26-11-2025 द्वारा उक्त कार्यशाला में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस क्रम में श्री पवन कुमार जैसवाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 27-11-2025 के माध्यम से प्रस्तुत स्पष्टीकरण में दिए गए कारणों को सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात संतोष जनक नहीं पाया गया है।

अतः श्री पवन कुमार जैसवाल, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या 1625 की दिनांक 21-11-2025 को कार्यशाला से अनधिकृत अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित किया जाता है। उक्त अवधि, सेवा में जोड़ी नहीं जाएगी और न ही सेवा में व्यवधान समझा जाएगा।

वरिष्ठ उप महालेखाकार/डी.ए.सी.सी.

पत्रांक: ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/ 506-509

दिनांक: -12-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. श्री पवन कुमार जैसवाल, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत सं. 1625 को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।
2. अधिशाषी अभियंता, अनु. एवं नि. खंड, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अकार्य दिवस की प्रविष्टि श्री पवन कुमार जैसवाल की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें। श्री पवन कुमार जैसवाल को दिनांक 21-11-2025 का वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि. वि.-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आई.टी.सी.जी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि.-1

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पत्रांक: ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/ 1354

दिनांक: 09-12-2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1337 दिनांक 12-11-2025 एवं कार्यालय आदेश संख्या ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/1338 दिनांक 17-11-2025 द्वारा प्रभागीय लेखाकार संवर्ग के 108 कार्मिकों को 'ऑडिट सप्ताह-2025' के अवसर पर दिनांक 21-11-2025 को इस कार्यालय परिसर में आयोजित की गयी कार्यशाला हेतु नामित किया गया था तथा यह निर्देशित किया गया था कि सभी नामित कार्मिक उक्त कार्यशाला में अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।

परन्तु श्री राहुल कुमार, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या 1701 उक्त कार्यशाला में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे। इस सम्बन्ध में श्री राहुल कुमार को कार्यालय आदेश संख्या AE-II/03/WM-1/ Gr.-I/Cap.Build./533/2025/Vol.-I/1340 दिनांक 26-11-2025 द्वारा उक्त कार्यशाला में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस सम्बन्ध में श्री राहुल कुमार द्वारा अपने पत्र दिनांक 28-11-2025 के माध्यम से प्रस्तुत स्पष्टीकरण में दिए गए कारणों को सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात संतोष जनक नहीं पाया गया है।

अतः श्री राहुल कुमार, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या 1701 की दिनांक 21-11-2025 को कार्यशाला से अनधिकृत अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित किया जाता है। उक्त अवधि, सेवा में जोड़ी नहीं जाएगी और न ही सेवा में व्यवधान समझा जाएगा।

वरिष्ठ उप महालेखाकार/डी.ए.सी.सी.

पत्रांक: ए.ई.-II/03/नि.वि.-1/वर्ग-1/श्र.नि./533/2025/खंड-1/ 510 - 513

दिनांक: -12-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. श्री राहुल कुमार, प्रभागीय लेखाकार, व्य. सं. 1701 को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।
2. अधिशाषी अभियंता, लघु सिंचाई खंड, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अकार्य दिवस की प्रविष्टि श्री राहुल कुमार की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें। श्री राहुल कुमार को दिनांक 21-11-2025 का वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि. वि.-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी/आई.टी.सी.जी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि.-1